

प्रेषक,

मनीष रंजन,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
राँची, खूँटी, हजारीबाग, पाकुड़, देवघर,
पलामू, कोडरमा, धनबाद, सरायकेला-खरसावाँ एवं बोकारो।

राँची, दिनांक- 30-03-2024

विषय:- स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष-2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, लघुशीर्ष-092
- अन्य कार्यालय, उपशीर्ष-04-भू-अर्जन संबंधी स्थापना प्रभार के अन्तर्गत
वेतन इकाई में कुल ₹7904000/- (रूपये उनासी लाख चार हजार) मात्र
की राशि का आवंटन।

महाशय,

विषयांकित स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में
विभिन्न इकाईयों में कुल 7904000/- (रूपये उनासी लाख चार हजार) मात्र की राशि
संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. इस राशि का ऑन लाईन आवंटन जिले के संबंधित डी0डी0ओ0 कोड में दिया
गया है।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998,
322/वि., दिनांक-28.01.2002, 1800/वि., दिनांक-15.07.2003, 274/बजट,
दिनांक-31.03.2023 एवं पत्रांक-860, दिनांक-28.12.2023 के आलोक में दिया जा रहा
है। राशि की निकासी के संबंध में वित्तीय नियमावली, कोषागार संहिता के प्रावधानों एवं
वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

4. वेतन इकाई में आवंटित राशि से चिकित्सा प्रतिपूर्ति (गत वर्ष का बकाया सहित)
के लिए भी निकासी की जायेगी।

5. वेतन इकाई में आवंटित राशि से नियमित वेतन की निकासी की जायेगी तथा
नियमित वेतन के पश्चात् अवशेष राशि से 15.11.2000 के बाद का बकाया वेतन की
निकासी की जायेगी।

6. वेतन इकाई में आवंटित राशि के अतिरिक्त अन्य मदों में आवंटित राशि के विरुद्ध
हुए व्यय की निकासी यथासंभव उसी माह/अगले माह में करना सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित राशि का व्यय विचलन द्वारा किसी अन्य मद में करना वित्तीय
अनियमितता होगी जिसकी सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

कृ०पृ०उ०

8. राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मांग संख्या-40 के अतिरिक्त इकाईवार विपत्र कोड का उल्लेख किया जाय तथा व्यय विवरणी टी.भी. नम्बर एवं तिथि के साथ प्रत्येक माह के 10 तारीख तक विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
9. यदि आवंटित राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष में नहीं किये जाने की संभावना हो तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक-31.03.2024 के पूर्व अवश्य कर दिया जाय।
10. यह आवंटनादेश महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को संसूचित किया जाता है।

विश्वासभाजन,

(मनीष रंजन)-
(मनीष रंजन)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-

202/अ/११ राँची, दिनांक- 30-03-2024

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(मनीष रंजन)-
सरकार के सचिव।

संख्या-10/स्था. व्यय आवं-16/2023-24.....2023/31/1 राँची, दिनांक- 30-03-2024

स्थापना व्यय मुख्यशीर्ष-2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएँ, लघु शीर्ष-092-अन्य कार्यालय, उप शीर्ष-04-भू-अर्जन संबंधी
स्थापना प्रभार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में राशि का आवंटन विवरणी-

क्र.	उपायुक्त कार्यालय का नाम	DDO Code	वेतन	संविदा भत्ता	मानदेय	विद्युत व्यय	योग
1	भू-अर्जन कार्यालय, राँची	RNCLDR008	700000	100000	50000	10000	860000
2	भू-अर्जन कार्यालय, हजारीबाग	HZBSGS001	700000	200000	0	10000	910000
3	भू-अर्जन कार्यालय, पाकुड़	PKRDADA07	700000	100000	50000	10000	860000
4	भू-अर्जन कार्यालय, देवघर	DGRSGSA69	700000	0	0	10000	710000
5	भू-अर्जन कार्यालय, पलामू	PLMLDR002	700000	100000	0	10000	810000
6	भू-अर्जन कार्यालय, दुमका	DMKDAD050	700000	0	0	10000	710000
7	भू-अर्जन कार्यालय, कोडरमा	KDMSGSA01	700000	120000	0	10000	830000
8	भू-अर्जन कार्यालय, सरायकेला-खरसावां	SKLDAD 069	700000	0	0	10000	710000
9	भू-अर्जन कार्यालय, धनबाद	DHNSGS001	700000	0	0	10000	710000
10	भू-अर्जन कार्यालय, बोकारो	BKRLDR006	720000	64000	0	10000	794000
कुल योग			7020000	684000	100000	100000	7904000

(मनीष रंजन)

सचिव

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।